समाहरणालय,मधेपुरा।

(राजस्व शाखा)

आदेश

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 394(7)रा0 दिनांक 31.03.2016 के कंडिका 7(i) में निहित निदेश के आलोक में राजस्व हल्कों में शिविर न्यायालय आयोजित कर आपरेशन भूमि दखल देहानी के तहत बेदखल परिवारों को पर्चा वाली भूमि पर दखल दिलाने हेतु मधेपुरा जिलान्तर्गत जिन अंचलों में बेदखली के मामले अवशेष है, उन पंचायतों में केम्प का आयोजन कर बेदखल पर्चाधारियों को दखल दिलाया जाना है। समीक्षोपरांत बेदखली के अवशेष मामलों की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई –:

क्र0	अंचल का नाम	दखल देहानी का कुल लक्ष्य	दखल दिलाये गये पर्चाधारी की कुल सं0	अवशेष परिवार जिन्हें दखल दिलाया जाना है।	न्यायालय में लंवित मामले	अवशेष परिवार जिन्हें केम्प के माध्यम से दखल दिलाया जाना है।
1	मधेपुरा	608	486	122	0	122
2	मुरलीगंज	480	384	96	0	96
3	आलमनगर	306	136	170	167	3
4	घैलाढ़	212	165	47	33	14

विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में उपरोक्त अवशेष परिवारों को पर्चावाली भूमि पर दखल दिलाने हेतु संबंधित अचलों में निम्न प्रकार केम्पों का आयोजन किया जाता है :-

क्र0	अंचल का नाम	शिविर से सम्बद्ध पंचायतों का नाम	केन्द्र स्थल का नाम	प्रथम शिविर की तिथि/समय	द्वितीय शिविर की तिथि/समय
1	मधेपुरा	सहुगढ़ –I ,साहुगढ़ –II , भेलवा, बराही	पंचायत भवन भेलवा	10.09.2016	24.09.2016
		तुलसीबाड़ी राजपुर मलिया, मानिकपुर, मुरहो, मदनपुर, मधुवन	पंचायत भवन मधुवन	13.09.2016	26.09.2016
		सकड़पुरा–बेतौना, भदौल बुधमा, धुरगॉव, महेशुआ।	पंचायत भवन धुरगॉव	14.09.2016	27.09.2016
		सुखासन, खोपैति तुनयाही, बालम गढ़िया एवं मठाही	पंचायत भवन सुखासन	15.09.2016	28.09.2016
2	मुरलीगंज	जेरगामा, रामपुर, मुरलीगंज, जयरामपुर, धाधा	पंचायत भवन जोरगामा	10.09.2016	24.09.2016
		पड़वा नवटोल, जीतापुर, भतखोड़ा, तमोट परसा, दीनापट्टी सखुआ	पंचायत भवन पड़वा नवटोल	13.09.2016	26.09.2016
		बेलो, परमानन्दपुर, खाड़ी, गंगापुर, रजनी	पंचायत भवन गंगापुर	14.09.2016	27.09.2016
		हरिपुर, सिंगयान, दिग्घी, रघुनाथपुर, कोल्हायपट्टी	पंचायत भवन हरिपुर	15.09.2016	28.09.2016
3	आलमनगर	विषपट्टी, खुरहान, वसनवाड़ा, सिंधार	पंचायत भवन खुरहान	10.09.2016	24.09.2016
		आलमनगर उ0, आलमनगर द0, आलमनगर पू0, भागीपुर नरथुआ, इटहरी	पंचायत भवन आलमनगर उ0	13.09.2016	26.09.2016
		बड़गाव, खापुर, कि0 रतवाड़ा, कुजौड़ी, गंगापुर	पंचायत भवन सोनामुखी	14.09.2016	27.09.2016
4	घैलाढ़	भान टेकठी, रतनपुरा, अर्राहा महुआ दीघड़ा, घैलाढ़,	पंचायत भवन भान टेकठी	10.09.2016	24.09.2016
		भतरंधा परमानन्दपुर, बरदाहा, चित्ति, श्रीनगर झिटकिया	पंचायत भवन भतरंधा परमानन्दपुर	13.09.2016	26.09.2016

1. दखल देहानी से संवंधित कार्यक्रम की प्रति अंचल कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने के साथ ही संवंधित पंचायतों के पंचायत भवन/पंचायत सरकार भवनों के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाय। उक्त साथ ही कार्यक्रम की प्रति पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं अन्य सभी संवंधितों को दी जाय। केम्प कार्यक्रम का ध्वनि विस्तारक यंत्र, समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय।
2. उक्त केम्पों में अंचल अधिकरियों एवं राजस्व कर्मियों द्वारा राजस्व कार्यो का निष्पादन की प्रकिया का पर्यवेक्षण भी आवश्यक है। अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा, अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा

/ उदाकिशुनगंज एवं संबंधित प्रखंड/अंचल के प्रभारी वरीय उप समाहर्त्ता भी उक्त कैम्पों का भ्रमण करना सुनिश्चित करेंगे।

3. उक्त निर्धारित केम्पों में निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर संबंधित अंचल के अंचल अधिकारी आवश्यक पुलिस बल एवं अंचल निरीक्षक/राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन के साथ उपस्थित होकर दखल देहानी के कार्यों का निष्पादन करेंगे साथ ही साथ उन पर्चाधारियों की भी जानकारी प्राप्त करेंगे जिनका विवरण अभीतक प्रपत्र–I एवं II में दर्ज नहीं हो सका है। उक्त जानकारी से प्रपत्र–I एवं II को निरन्तर अद्यतन किया जाय।

4. प्रतिवेदन शिविर न्यायालय के आयोजन होने के अगले दिन संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला राजस्व शाखा, मधेपुरा को पूर्वा0 10:00 बजे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपर्युक्त बिन्दुओं का दृढ़ता से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-
समाहर्त्ता,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 596-2 रा0, मधेपुरा। दिनांक 09-09-2016

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि उक्त सूची का प्रकशन जिला के बेबसाईट पर किया जाय।

प्रतिलिपि– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को विस्तृत प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी संबंधित अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी संबंधित प्रखंड / अंचल के वरीय प्रभारी उप समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता मधेपुरा / उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा / उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी थानाध्यक्षों को इसमें आपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु निदेश देने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि– आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहर्षा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

9/9/16

समाहर्त्ता,
मधेपुरा।

DIO, NIC